प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....57/2022.....दिनांक.....17/9/2022.....

2. (I) अधिनियम ... धारायें:– 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....321..... समय .....6:15 P.M.
(ब) अपराध घटने का वार.....शुक्रवार ..... दिनांक 16.09.2022 समय 8.12 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.09.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पश्चिम दिशा में करीब 18 कि0मी0
(ब) पता..... हाजरी गाह, वार्ड नं0 46, जोन झोटवाडा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम:– श्री आकाश नकवाल
(ब) पिता/पति का नाम:– स्वं. श्री अशोक
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 23 साल.....
(द) राष्ट्रीयता:– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय:–सफाई कर्मचारी
(ल) पता:– आलु फैक्ट्री कच्ची बस्ती भवानी रोड जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री प्रहलाद टोपिया पुत्र श्री शम्भूलाल, जाति हरिजन, उम्र 42 साल निवासी खोहरापाडा कॉलोनी, लालसोट, जिला दौसा हाल जमांदार एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं0 46, जोन झोटवाडा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 5,000/– रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 5,000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 09.09.2022 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री आकाश पुत्र स्वं. श्री अशोक, निवासी आलु फैक्ट्री कच्ची बस्ती भवानी रोड जयपुर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री आकाश नकवाल को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी., एस. आई.डब्ल्यू. जयपुर को संम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री आकाश नकवाल ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मैं आकाश नकवाल, निवासी आलू फैक्ट्री, कच्ची बस्ती, भवानी सिंह रोड, जयपुर (302005) का रहने वाला हूँ तथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर में वर्ष 2018 से सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत हूँ तथा मेरी ड्यूटी गोकुलपुरा फाटक वार्ड नं. 46 झोटवाडा जोन में लगी हुई हैं। मैं दिनांक 2/9/2022 से 8/9/2022 तक मेरे चाचाजी की तबियत खराब होने की वजह से ड्यूटी पर नहीं जा सका तो मेरे वार्ड नं0 46 के एसआई श्री प्रहलाद टोपिया जी सर ने मुझे ड्यूटी पर नहीं आने के कारण मुझे कारण बताओ नोटिस की एक प्रति दी और मुझे कहा कि इतने दिन ड्यूटी पर नही आने का जवाब तीन दिन में लिखित में देना है और मुझे कहा कि अगर तुझे नोटिस फाइल करवाना है तो मुझे 5400 रूपये देगा तो मै तेरे नोटिस को तेरी सर्विस फाइल में नहीं चढाउंगा, लेकिन मैं एस.आई. श्री प्रहलाद टोपिया सर को रिश्वत के 5400 रूपये नही देना चाहता हूँ तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरा उनसे पहले का कोई उधार का लेन देन बकाया नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई आपसी रंजिश है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।"

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री नरेन्द सिंह कानि 287 को तलब कर उसका परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री आकाश नकवाल को संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में उससे आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। जिस पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि आज कार्यालय समय समाप्त होने वाला है तथा दिनांक 10.09.2022 व 11.09.2022 को शनिवार एवं रविवार होने के कारण संदिग्ध आरोपी के गांव जाने की सम्भावना है। अन्य कार्य दिवस में भी संदिग्ध आरोपी नगर निगम ग्रेटर के गोकुलपुरा बूथ पर सुबह ड्यूटी लगाने के बाद चला जाता है। मैं संदिग्ध आरोपी से जब भी रिश्वत सम्बधिंत वार्ता करने जाउंगा तब मैं आपको अवगत करवा दूंगा। परिवादी की अभी संदिग्ध आरोपी से मिलने की सम्भावना नहीं होने से श्री नरेन्द्र सिंह कानि को हिदायत की गई कि जब भी परिवादी श्री आकाश नकवाल रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बंध में संदिग्ध आरोपी के पास वार्ता करने जाये तो उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा परिवादी द्वारा संदिग्ध से बातचीत करने के दौरान उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें एवं उन पर नजर रखें। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 14.09.2022 को श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 287 ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी ने मुझे बताया है कि मैं कल दिनांक 15.09.2022 को संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने जाउगां। आप मुझे सुबह 7.30 ए.एम पर मेरे नगर निगम ग्रेटर के गोकुलपुरा बूथ के पास मिल जाना। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र सिंह कानि. को दिनांक 15.09.2022 को परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर मिलने एवं गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की गई तथा स्वयं के पास सुरक्षित कार्यालय अलमारी में से डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड निकालकर उसे खाली होना सुनिश्चित करते हुऐ श्री नरेन्द्र सिंह कानि को सुपूर्द किया गया।

दिनांक 15.09.2022 को श्री नरेन्द्र सिह कानि. ने कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पेश किया व बताया कि आज मैंने निर्देशानुसार गोकुलपुरा पहुंचकर परिवादी द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा जहां पर परिवादी मौजूद मिला। प्रातः 08.04 बजे परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के लिए संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपूर्द कर दिया था तथा परिवादी नगर निगम ग्रेटर के गोकुलपुरा बूथ के बाहर संदिग्ध के पास गया था मैं भी कुछ दूरी पर अपनी उपस्थिति छूपाते हुऐ उन पर नजर रख रहा था। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री आकाश नकवाल संदिग्ध से वार्ता कर वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर मेरे पास आया और मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड दिया जिस पर मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। मेरे द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैंने संदिग्ध आरोपी से रिश्वत सम्बंधी वार्ता रिकॉर्ड कर ली है। मैने परिवादी को अपने साथ ब्यूरों कार्यालय में चलने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया मैं अभी आपके साथ कार्यालय नहीं चल सकता। मुझे संदिग्ध आरोपी ने जो कार्य दे रखा है उसे पूरा नहीं किया तो वह मेरी गैर हाजरी दर्ज कर देगा। मैं मेरा कार्य पूर्ण कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात मैंने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर वहां से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आया हूँ। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड परिवादी और संदिग्ध आरोपी की वार्ता को सरसरी तौर पर सुना तो रिकॉर्डर में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सम्बन्धित वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब किये गये।

दिनांक 15.09.2022 को सांय 4.30 बजे परिवादी श्री आकाश नकवाल मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से संदिग्ध आरोपी के साथ हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में पूछा तो परिवादी ने श्री नरेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद करते हुऐ बताया कि इससे पिछले महिने अगस्त मे भी मै कुछ दिन अनुपस्थित हो गया था इस पर आरोपी ने मेरी अनुपस्थिति अवधि को उपस्थिति में शुमार करते हुए पूरे महिने की तनख्वाह बनवा दी थी एवं इस ऐवज से भी मुझसे पैसे मांग रहा था। दिनांक 01.09.2022 को तनख्वाह मिलने के बाद मैं ड्यूटी पर नहीं गया था एवं उसको पूर्व में अनुपस्थिति अवधि के रूपये नहीं दिये थे इसलिए भी वह मेरे से नाराजगी जता रहा था एवं कह रहा था कि पैसे लेकर दो–दो महिने गायब हो गये तुम तो, टाईम पर देता तो सौ दो सौ रूपये कम भी आदमी ले लेता है, तू पिछले महिने की अनुपस्थिति के पैसे पहले दे देता तो मै तेरा नोटिस नहीं निकलवाता। संदिग्ध आरोपी द्वारा पिछले माह मेरे कुछ दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के उपरान्त उपस्थिति दिखाकर पूरे माह की तनख्वाह बनवाने एवं इस माह मुझसे मेरे ड्यूटी से अनुपस्थिति के सम्बंध में उपायुक्त द्वारा दिये गये कारण बताओं नोटिस को मेरी सर्विस फाईल में नहीं चढाने की एवज में 5400 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई मैने उनसे कुछ कम करने की रिक्वेस्ट की तो अन्त में उसके द्वारा 5000 रू रिश्वत राशि की मांग की गई है। जिस पर मैनें संदिग्ध आरोपी को उक्त रिश्वत राशि कल दिनांक 16.09.2022 को देने के लिए कहा। मेरी दिनांक 02.09.2022 से 08.09.2022 तक अनुपस्थिति के लिए दिये गये नोटिस के संबंध में मुझे जवाब के लिए तीन दिन का समय दिया गया था तथा आज आरोपी ने भी मुझसे कहा था कि नोटिस का जवाब तो देना ही पडेगा इसलिए मैं आज नोटिस का जवाब देकर आया हूँ। मैंने संदिग्ध आरोपी से रिश्वत सम्बंधी वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर श्री नरेन्द्र कानि. को सुपुर्द कर दिया था। तत्पश्चात परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर उनके समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से सुनाया जाकर हस्बकायदा वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई तथा कम्प्यूटर की सहायता

से पांच सीडियां तैयार की जाकर, चार सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सील्ड मोहर किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट व सीडियों पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री आकाश नकवाल को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 16.09.2022 को प्रातः 05.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने तथा स्टॉफ व दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी प्रातः 05.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक निर्देश दिये जाकर रूखसत किया गया।

दिनांक 16.09.2022 को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने पर प्रातः 6.20 बजे दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आकाश नकवाल को संदिग्ध आरोपी श्री प्रहलाद टोपीया, एस.आई (सैनेट्री इन्स्पेक्टर) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री आकाश नकवाल ने अपने पास से 500–500 रूपये के दस भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 5,000 रूपये निकालकर गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त सभी नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उपरोक्त सभी 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 5,000/–रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि नं. 383 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री आकाश नकवाल की जामा तलाशी गवाह श्री अनिल शुक्ला से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 5,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि. से परिवादी श्री आकाश नकवाल की पहनी हुई पेन्ट की बाई साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ़ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि. से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 287 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एवं सुपूर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात प्रातः 6.45 बजे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रैप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से रवाना होकर प्रातः करीब 7.20 बजे नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं0 46 जोन झोटवाडा के हाजरीगाह के पास पहुंचे, जहां मन पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहनों को साईड में खडे करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। थोडी देर बाद श्री नरेन्द्र सिंह कानि. ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है।

उसके बाद प्रातः 8.12 बजे परिवादी श्री आकाश नकवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गोकुलपुरा के सामने स्थित नगर निगम जयपुर ग्रेटर वार्ड नं0 46 जोन झोटवाडा के हाजरीगाह के गेट से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंची तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने साथ–साथ उक्त हाजरी गाह के अन्दर प्रवेश करते दरवाजे के बायीं तरफ कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह ही प्रहलाद टोपिया एसआई हैं जिन्होंने अभी अभी मुझ से

पिछले माह मेरे कुछ दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के उपरान्त उपस्थिति दिखाकर पूरे माह की तनख्वाह बनवाने एवं इस माह मुझसे मेरे ड्यूटी से अनुपस्थिति के सम्बंध में उपायुक्त द्वारा दिये गये कारण बताओं नोटिस को मेरी सर्विस फाईल में नहीं चढाने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 5,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की अन्दर वाली जेब में रखे हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री प्रहलाद टोपिया पुत्र श्री शम्भूलाल, कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं0 46 झोटवाडा जोन नगर निगम ग्रेटर जयपुर होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी–अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी–अभी ये आकाश नकवाल मेरे पास आये थे, मैने इसको 5 हजार रूपये उधार दिये थे वह इसने वापस लौटाये हैं जो मैने मेरी पेन्ट की अन्दर वाली जेब में रखे हैं। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि पिछले माह मेरे कुछ दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर इन्होंने उपस्थिति दिखाकर मेरी तनख्वाह बनवाने एवं इस माह मुझसे मेरे ड्यूटी से अनुपस्थिति के सम्बंध में उपायुक्त द्वारा दिये गये कारण बताओं नोटिस को मेरी सर्विस फाईल में नहीं चढाने की एवज में दिनांक 15.09.2022 को मुझसे 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की थी, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, उक्त 5000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री प्रहलाद टोपिया ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम प्रहलाद टोपिया पुत्र श्री शम्भूलाल, जाति हरिजन, उम्र 42 साल निवासी खोहरापाडा कॉलोनी, लालसोट जिला दौसा हाल जमांदार एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं0 46 झोटवाडा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर है। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 15.09.2022 को परिवादी श्री आकाश नकवाल के नोटिस को उसकी सर्विस फाईल में नहीं चढाने की एवंज में 5000 रूपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया चुप हो गया।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री प्रहलाद टोपिया के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री प्रहलाद टोपिया को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में श्री प्रहलाद टोपिया के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनो गवाहान व श्री प्रहलाद टोपिया को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री अनिल शुक्ला से आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया की तलाशी लिवाई गई तो उसके द्वारा पहनी हुई पेन्ट की आगे दाहिनी साईड में अन्दर वाली जेब में 5,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500–500 रूपये के दस नोट, कुल 5,000 रू0 होना बताया।

दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 5,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामदशुदा 5,000/–रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को पहनने हेतु दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट को निकलवाया जाकर पेन्ट की आगे दाहिनी साईड में अन्दर वाली जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री प्रहलाद टोपिया की उक्त पेन्ट की आगे दाहिनी साईड में अन्दर वाली जेब जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी उस जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री प्रहलाद टोपिया को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा श्री प्रहलाद टोपिया की पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी से परिवादी को उसकी गैर हाजरी के सम्बंध में दिये गये नोटिस व माह अगस्त एवं सितम्बर 2022 का हाजरी रजिस्टर एवं इससे सम्बंधित अन्य रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि श्री आकाश नकवाल का नोटिस मेरे पास नहीं है वह जोन कार्यालय में मिलेगा एवं माह अगस्त 2022 का हाजरी रजिस्टर मैने झोटवाडा जोन कार्यालय में जमा करवा दिया है तथा आरोपी ने माह सितम्बर 2022 का हाजरी रजिस्टर पेश किया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि एवं जब्ती पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया पुत्र श्री शम्भूलाल, जाति हरिजन, उम्र 42 साल निवासी खोरापाडा कॉलोनी,

लालसोट जिला दौसा हाल जमांदार एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं0 46, जोन झोटवाडा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। बाद मौके की कार्यवाही के मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, हमराही ट्रैप पार्टी सदस्य मय जब्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वति राशि, ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर रवाना होकर वापस उपस्थित कार्यालय आयी। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए कहने पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 16.09.2022 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु पांच खाली सीडीयां मंगवायी जाकर पांचो सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की पांच अलग–अलग सीडियां तैयार की गई तथा चार सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्किप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया, जमांदार एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं0 46, जोन झोटवाडा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री आकाश नकवाल के पिछले माह अगस्त में कुछ दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के उपरान्त उसकी उपस्थिति दिखाकर पूरे माह की तनख्वाह बनवाने एवं इस माह सितम्बर 2022 में उसको ड्यूटी से अनुपस्थिति के सम्बंध में उपायुक्त जोन झोटवाडा द्वारा दिये गये कारण बताओं नोटिस को उसकी सर्विस फाईल में नहीं चढाने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 15.09.2022 के अनुसार परिवादी से 5,000 रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने तथा दिनांक 16.09.2022 को परिवादी से उक्त 5 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथो पकड़े जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया पुत्र श्री शम्भूलाल, जाति हरिजन, उम्र 42 साल निवासी खोहरापाडा कॉलोनी, लालसोट, जिला दौसा हाल जमांदार एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं0 46, जोन झोटवाडा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

(भीमा वर्मा)
पुलिस निरीक्षक
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रहलाद टोपिया, जमादार एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड नं0 46, जोन झोटवाड़ा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 367/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

17/9/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3186-90 दिनांक 17.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कोर्ट क्रम सं.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।